

12.2.24

वकील उभयपक्ष उपस्थित उपखण्ड
अधिकारी महोदय अन्य कार्य में
व्यस्त/मीटिंग/अवकाश पर है। पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 22.7.24 को पेश है।

22.4.24

वकील वादी उपस्थित। वकील जर्मी
को अजर्मीगठ की तलबी हेतु कई
इफा हिदायत दी गई लेकिन
अजर्मीगठ की तलबी नहीं देने
के कारण पत्रावली को तलबी के
अभाव में O.R.-5 CPC के अन्तर्गत
रूखाजि किया जाता है।

पत्रावली नम्बर 6 कास की
भावाल बाद तकमील कारिबल दफतर
है।

(रूखाजि गुप्ता)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पट्टेन महासक कलेक्टर
दिल्ली

